न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0
144 / 2023

तारीख दायरा
20.09.2023

तारीख फैसला
10-10-25

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– नन्दकिशोर पुत्र छीत्या उर्फ छीतरलाल जाति मीना निवासी ग्राम पोलाईखुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– कलावती बाई पुत्री जवाहर लाल जाति मीना
2– राममूर्ति बाई जवाहर लाल जाति मीना
3– द्वारका लाल पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
4– दिनेश पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
5– धनराज पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
6– संजय पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
7– सुरेन्द्र पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
निवासीगण ग्राम पोलाईखुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.एक्ट बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 7 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का 1/2 व प्रतिवादी नं0 1 च 2 का 1/21, 1/21 एंवम् प्रतिवादी नं0 3 ता 7 का प्रत्येक का 17/210, 17/210 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न है।

खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 23 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 243 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर, खसरा नं0 566 की 0.26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2.03 हैक्टर, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 600 की 1.01 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर, कुल 9 किता की 7.32 हैक्टर

2. यह कि [illegible] भूमियां पूर्व में वादी व प्रतिवादी [illegible] के पिता [illegible] की [illegible] आपसी [illegible] वादी के हिस्से में निम्न भूमियां शामिल हुई।

खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर पश्चिम दिशा की, खसरा नं0 566 की 0.26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2.03 हैक्टर, खसरा नं0 600 की 1.01 हैक्टर, कुल 4 किता की 3.66 हैक्टर

[illegible] जी के हिस्से में आयी भूमि

खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 23 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 243 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर में से 0.78 हैक्टर पूर्व दिशा की, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर, कुल 6 किता की 3.66 हैक्टर

3. यह कि उपरोक्त विभाजन के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु प्रतिवादी गण के मन में बदनियती आ गयी है और उपरोक्त भूमि को लेकर वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा रहते है और लगान राज जमा करने में भी झगड़ा करते रहते है इस कारण वादी ने प्रतिवादी गण से उपरोक्त भूमियो का बंटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी गण नाराज हो गये और दिनांक 2.7.2023 को प्रतिवादीगण ने विभाजन करने से इन्कार कर दिया।

4. यह कि उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये माननीय न्यायालय में बंटवारा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

1— कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित वाके ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 23 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं० 243 की 0.14 हेक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हेक्टर, खसरा नं0 566 की 0.26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2. 03 हैक्टर, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं० 600 की 1.01 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर, कुल 9 किता की 7.32 हैक्टर भूमि का वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के पिता के मध्य हुये पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से में खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर में से 0—36 हेक्टर पश्चिम दिशा की खसरा नं0 566 की 0. 26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2.03 हैक्टर, खसरा नं० 600 की 1.01 हैक्टर, कुल 4 किता की 3.66 हैक्टर भूमि अलग खाते दर्ज किये जाने तथा अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

2— यह कि मद नं0 1 में वर्णित भूमि का विभाजन किया जाकर पारिवारिक विभाजन में आयी भूमि प्रतिवादी नं० 1 ता 7 के हिस्से में खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 23 की 0.14 हेक्टर, खसरा नं0 243 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर में

–78 हेक्टर पूर्व दिशा की, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर, कुल 6 किता की 3.66 हैक्टर की भूमि अलग खाते दर्ज किये जाने तथा अलग से लगान कायम किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम पोलाईखुर्द सम्वत 2076–2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य में लिया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य में PW–1 नन्दकिशो पुत्र छीत्या उर्फ छीतरलाल का पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 23 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं० 243 की 0.14 हेक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हेक्टर, खसरा नं0 566 की 0. 26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2. 03 हैक्टर, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं० 600 की 1.01 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर, कुल 9 किता की 7.32 हैक्टर भूमि का वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के पिता के मध्य हुये पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से में खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर में से 0–36 हेक्टर पश्चिम दिशा की, खसरा नं0 566 की 0. 26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2. 03 हैक्टर, खसरा नं० 600 की 1.01 हैक्टर, कुल 4 किता की 3.66 हैक्टर भूमि अलग खाते दर्ज किये जाने तथा पारिवारिक विभाजन मे आयी भूमि प्रतिवादी नं० 1 ता 7 के हिस्से में खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, खसरा नं0 23 की 0.14 हेक्टर, खसरा नं0 243 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर में से 0–78 हेक्टर पूर्व दिशा की, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर, कुल 6 किता की 3.66 हैक्टर की विवादित आराजीयात में राजस्व मण्डल के नियम 18–20 के तहत प्रकरण में दिनांक 10.06.2025 को प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया गया।

प्राथमिक निर्णय अनुसार तहसीलदार दीगोद से पत्रांक भू0अभि0/2025/2908 दिनांक 01.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वादी के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया। आदेशिका पर वादी के अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने का नोट अंकित किया गया है।

तहसीलदार दीगोद से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया:–

ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 22 की 0.11 हैक्टर, ख0 नं0 23 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 243 की 0.14 हैक्टर, खसरा नं0 269 की 1.14 हैक्टर, खसरा नं0 566 की 0.26 हैक्टर, खसरा नं0 581 की 2.03 हैक्टर, खसरा नं0 60 की 0.79 हैक्टर, खसरा नं0 600 की 1.01 हैक्टर, खसरा नं0 62 की 1.70 हैक्टर कुल 9 किता की 7.32 हैक्टर भूमि मे खातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किया जो निम्नानुसार है

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा(है0)	लगान	वादी / प्रतिवादी
1	पोलाईखुर्द	नन्दकिशोर पुत्र छीत्या जाति मीना निवासी पोलाईखुर्द रहन 1/3 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अर्जुनपुरा	269/1 566 581 600 ----- किता 4	0.36 पश्चिम 0.26 2.03 1.01 ----- 3.66 है0	- - - - - - -	वादी
2	पोलाईखुर्द	कलावती पुत्री जवाहरलाल हि0 2/21, राममूर्ति पुत्री जवाहरलाल हि0 2/21, द्वारका लाल पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, दिनेश पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, धनराज पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, संजय पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105 सुरेन्द्र पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105 जाति मीना निवासी पोलाईखुर्द	22 23 243 269/2 पूर्व 60 62 ----- किता 6 -----	0.11 0.14 0.14 0.78 पूर्व 0.79 1.70 ----- 3.66 है0 -----	- - - - - - -	प्रतिवादी

यह कि वादी ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस वादी अधिवक्ता एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादी पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:-

क्र0 स0	ग्राम का नाम	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा(है0)	लगान	वादी / प्रतिवादी
1	पोलाईखुर्द	नन्दकिशोर पुत्र छीत्या जाति मीना निवासी पोलाईखुर्द रहन 1/3 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अर्जुनपुरा	269/1 566 581 600 ------ किता 4	0.36 पश्चिम 0.26 2.03 1.01 ------ 3.66 है0	– – – – – – –	वादी
2	पोलाईखुर्द	कलावती पुत्री जवाहरलाल हि0 2/21, राममूर्ति पुत्री जवाहरलाल हि0 2/21, द्वारका लाल पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, दिनेश पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, धनराज पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, संजय पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105 सुरेन्द्र पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105 जाति मीना निवासी पोलाईखुर्द	22 23 243 269/2 पूर्व 60 62 ------ किता 6 ------	0.11 0.14 0.14 0.78 पूर्व 0.79 1.70 ------ 3.66 है0 ------	– – – – – – –	प्रतिवादी

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– नन्दकिशोर पुत्र छीत्या उर्फ छीतरलाल जाति मीना निवासी ग्राम पोलाईखुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– कलावती बाई पुत्री जवाहर लाल जाति मीना
2– राममूर्ति बाई जवाहर लाल जाति मीना
3– द्वारका लाल पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
4– दिनेश पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
5– धनराज पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
6– संजय पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
7– सुरेन्द्र पुत्र जवाहर लाल जाति मीना
निवासीगण ग्राम पोलाईखुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा
8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – **श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.एक्ट बाबत विभाजन

मिसल नं 144 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कताई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुदद्ई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी पक्ष के अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एव प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही पूर्व मे ही अमल मे आ चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड एव वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एव वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस एव प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है

		ऑफ इण्डिया शाखा अर्जुनपुरा	581 600 किता 4	2.03 1.01 3.66 है0		
2	पोलाईखुर्द	कलावती पुत्री जवाहरलाल हि0 2/21, राममूर्ति पुत्री जवाहरलाल हि0 2/21, द्वारका लाल पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, दिनेश पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, धनराज पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105, संजय पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105 सुरेन्द्र पुत्र जवाहर लाल हि0 17/105 जाति मीना निवासी पोलाईखुर्द	22 23 243 269/2 पूर्व 60 62 किता 6	0.11 0.14 0.14 0.78 पूर्व 0.79 1.70 3.66 है0		प्रतिवादी

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 10/10/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मु0	0	0	मु0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद